

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु. नं. 80/12

तारीख 22 30.7.12

उनकात - लखनलाल के. 10 1/2 बिरोडी के. 10

दाया वलत घोषणा खोतेदारी व स्पष्ट निषेधाज्ञा

वादी की ओरसे श्री रागभरोली शुभा एडवो. नि दाया पेश किया अवलोवन किया। प्रतिवादीगण समनेसे तलब का पत्रावली दिनांक 30.8.12 को पेश हो

29.01-4
30/7/12

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

30⁹/12 वादी वकील उषा प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओरसे श्री जेरेन्ड कुमार शर्मा Adv. नि पत्रावली पेश किया। प्रति. नं. 3 व 4 के समान कादलकील ग्राहनी/ P.O (1)0 अग्रहण है। वास्ते क्कालतनामा पेश करे व क्कालतनामा दिनांक 26.9.12 को पेश हो।

26⁹/12

वक्कुलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा पीटासन अधिकारी शर्मा/मोटिंग/अधकाराश पर है। गतानुसार दिनांक..... को पेश हो
31-10-12

31¹⁰/12

वक्कुलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा पीटासन अधिकारी शर्मा/मोटिंग/अधकाराश पर है। गतानुसार दिनांक..... को पेश हो
12-12-12

12¹²/12 वक्कुलाय उप. प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओरसे पेश करे क्कालतनामा एक मौका और पेशा। प्रति. नं. 3 व 4 के समान कादलकील ग्राहनी/ P.O (1)0 अग्रहण है। पुनः समान क्कालतनामा पेश हो। वास्ते तलबी एवं पेश करे क्कालतनामा दिनांक 19.12.12 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क्रमांक

16/11/17 वादी वकील उपस्थित। कहस सुनी गर्डी।
वादी का खीजा करके दुएखादी को वादी
गण के जोशनल हिसे तदकी भूमि रहन
व्यय नही करने के लिए पाबंद फिया जात
है विस्तृत निर्णय पुथक से लिखाया जात
शामिल फिया गया। पत्रावली फिसल
शुमार होका नम्बर से कम हो। फय डिडी
जारी कर पत्रावली दारिबल दफता हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)